Airo International Research Journal
Volume 23, ISSUE 1
ISSN: 2320-3714
October 2020

Multidisciplinary
Peer Reviewed Indexed Journal
Impact Factor 5.68

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का क्रियान्वयन एवं उसका प्रभाव

डॉ0 अजीत कुमार सिंह
असिस्टेंट प्रोफेसर
(राजनीति विज्ञान विभाग)
के0एन0आई0पी0एस0,
जिला–सुलतानपुर

भारत के संविधान ने प्रमुख रूप से लोकतन्त्रात्मक गणराज्य की स्थापना की है। लोकतन्त्रात्मक व्यवस्था शिक्षित नागरिक वर्ग की अपेक्षा करता है जिन्हें सरकारी क्रियाकलापों एवं सरकारी विभागों के कामकाज की पूरी जानकारी हो। न्यायालयों ने इसे स्वीकार किया कि लोकतन्त्र की सफलता के लिए यह आवश्यक है।

सामान्य रूप से सूचना अधिकार अधिनियम की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इस देश में सरकारी विभागों एवं अफसरों के कामकाज और फैसलों के बारे में जनता को सूचना नहीं मिलती थी। आजादी के 60 सालों तक देश की सरकार और व्यूरोक्रेसी 1923 में ब्रिटिश सरकार के बनाए गए सरकारी गुप्त अधिनियम की आड़ में सरकारी महकमों के फैसले के बारे में जनता को कोई सूचना नहीं देते थे अंग्रेजों ने सरकारी गुप्त अधिनियम इसलिए बनाए थे ताकि भारतीयों को लम्बे समय तक गुलाम बनाए रखा जाए। देश आजाद हुआ मगर वह कानून बना रहा। लम्बी लड़ाई और आजादी के 58 साल बीत जाने के बाद वर्ष 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम देश में प्रवृत्त हुआ। इस अधिनियम को अन्तिम रूप से संसद ने 12 मई को पारित किया। जिस पर राष्ट्रपति ने 15 जून, 2005 को स्वीकृति दे दी। यह अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 जम्मू कश्मीर को छोड़कर सम्पूर्ण भारत में लागू है। इसमें कुल 31 धाराएँ और 2 अनुसूचियाँ हैं।[1]

इसकी उद्देशिका ''प्रत्येक लोक प्राधिकारी के कार्यकरण में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के संवर्द्धन के लिए, लोक प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन सूचना तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों के सूचना के अधिकार की व्यवहारिक शासन पद्धति स्थापित करने, एक केन्द्रीय सूचना आयोग तथा राज्य सूचना आयोगों को गठन करने और उनमें संबंधित या उनसे आनुषंगिक विषयों को उपलब्ध करने के लिए है।

राज्यों में सर्वप्रथम तमिलनाडु (1997) राज्य ने इस अधिनियम को लागू करने का प्रयास किया, उसके बाद कर्नाटक (2000), राजस्थान (2000), दिल्ली (2001), असम (2002), मध्यप्रदेश (2003) तथा जम्मू–कश्मीर राज्य ने 2004 में लागू किया। उसके बाद केन्द्र सरकार ने 2005 में सूचना का अधिकार कानून के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभायी। जम्मू कश्मीर को छोड़कर जहाँ विधानसभा द्वारा पहले ही सूचना अधिकार कानून पारित एवं लागू किया जा चुका था। इसके अलावा केन्द्र सरकार से जुड़े निकायों के संबंध में सूचना का अधिकार 2005 के तहत सूचना माँगने का अधिकार जम्मू–कश्मीर के नागरिकों को भी प्राप्त है।

सूचना का अधिकार कानून बनने के बाद प्रत्येक राज्य में एवं देश में गैर संगठनों, आर.टी.आई एक्टीविस्टों तथा व्यक्तियों ने इस अधिकार का प्रयोग खूब कर रहे हैं जिससे उनकों सरकारी कार्यों में क्या हो रहा, शासन प्रशासन आम जनता के लिए क्या कर रही है आदि की जानकारी प्राप्त हो रही है। जिस कारण से सरकारी विभाग के कर्मचारी एवं अधिकारी सरकारी रिकार्ड के रख–रखाव में पारदर्शिता बरत रहे हैं।

इस अधिनियम के आने के बाद से देशभर में व्हिसल ब्लोअरों की एक नई पीढ़ी भ्रष्टाचार और व्यवस्था के दुष्चक्रों से लड़ने के लिए अपनी नौकरी और जान दांव पर लगाकर बेजा फायदा उठाने वालों का खुलासा कर रहे हैं। आशीष चतुर्वेदी (28 वर्ष), ग्वालियर, मध्यप्रदेश के रहने वाले हैं। इन्होंने मध्य प्रदेश में शिक्षा और नियुक्तियों से जुड़े घोटाले व्यापम के खिलाफ जम कर लड़ रहे हैं। जिसमें हजारों छात्रों को सरकारी अफसरों की सांठ–गांठ से पैसे के बदले में सरकारी कालेजों में कथित तौर पर दाखिला दिया गया।[2]

संजीव चतुर्वेदी आई.एफ.एस. अधिकारी 2006 से सक्रिय हैं। सरकारी भ्रष्टाचार के खिलाफ इन्होंने हरियाणा के वन विभाग में मजबूत राजनैतिक लॉबी को सीधे चुनौती दी और बाद में सतर्कता अधिकारी के बतौर एम्स में सिलसिलेवार घोटालों का पर्दाफाश किया। 2015 में रेमन मैगसेसे पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। इसी प्रकार एस0के0 लांबा (मुम्बई) महाराष्ट्र में आदर्श हाउसिंग सोसाइटी में भ्रष्टाचार का खुलासा किया, नेताओं और सेनाओं के अधिकारियों को चुनौती दी। जिसमें इस प्रकरण के कारण तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण को इस्तीफा देना पड़ा।

विश्वनाथ चतुर्वेदी जो रायबरेली उत्तर प्रदेश के रहने वाले है। ये 2003 से ही भ्रष्टाचार के खिलाफ आर0टी0आई0 के माध्यम से जंग लड़ रहे थे। जिसमें यू0पी0 में खाद्य घोटाला और दूसरा समाजवादी पार्टी के प्रमुख मुलायम सिंह यादव द्वारा कथित तौर पर जुटाई गई धन दौलत है। इनको बड़ी जीत तब मिली जब सुप्रीम कोर्ट ने 2008 में मुलायम की आय से अधिक सम्पत्ति के मामले में सी0बी0आई0 जांच के आदेश दिये गये।

सरकार के बाहर और भीतर उन दुर्लभ लोगों में से चतुर्वेदी एक हैं जो सार्वजनिक जीवन में व्यवस्थागत भ्रष्टाचार का खुलासा करने की अथक कोशिश में जुटे हैं और मिलीभगत और सांठ–गांठ के चलन को चुनौती दे रहे हैं। ऐसे लोग हमारे देश में चारों ओर मौजूद हैं, इनके बीच में देर रात फोन पर और व्हाट्सऐप पर बातें होती है और ये एक–दूसरे से प्रेरणाएँ लेते हैं। सार्वजनिक प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर ऐसे लोगों ने गलत कामों को चुनौती दी है और खुद को अक्सर खतरे में डाला है, हाल के वर्षों में इन लोगों ने बड़े–बड़े घोटालों का पर्दाफाश करने में मदद की है। मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले से लेकर उत्तर प्रदेश में शीर्ष नेताओं की कथित आय से अधिक सम्पत्ति, महाराष्ट्र का आदर्श सोसायटी घोटाला, हरियाणा में ट्रांसपोटरो की लॉबी और गुजरात के अवैध खनन से लेकर दिल्ली में जहरीली दवाओं की तस्करी तक, इन्हें बखूबी इस बात का इल्म है कि इन्हीं की प्रजाति के कई लोगों को अपने विरोध के कारण हमेशा के लिए चुप करा दिया गया था। उनमें एक इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस के अफसर सत्येन्द्र दुबे थे, जो बिहार में स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे थे और दूसरे इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन के प्रबंधक एस0 मंजुनाथ थे, जिन्होंने मिलावटी तेल बेचने के आरोप में एक पेट्रोल पम्प को उत्तर प्रदेश में सील कर दिया थइा। खौफनाक अंजाम जानते हुए भी ये पहरूए न सिर्फ लड़े रहे हैं, बल्कि जुल्म और सितम इनके लिए प्रेरणा बन गया है।[3]

सूचना का अधिकार कानून बनने के बाद सूचनाओं तक पहुँच में आम और खास का यह फर्क मिट चुका है। इस कानून को बने अभी मात्र 10 वर्ष हुए हैं इस कानून ने पिछले दस वर्षों के बहुत अल्प समय में पूरे देश के अन्दर जनता का विश्वास जीता है। इस कानून के प्रयोग को लेकर नागरिकों में भारी उत्साह है, देश का प्रत्येक नागरिक इस कानून का प्रयोग एक अधिकार के रूप में सार्वजनिक क्षेत्रों एवं अपने व्यक्तिगत हित से जुड़ी हुई अनेक सूचनाओं के बारे में कर रहा है।

इस कानून के सार्थक क्रियान्वयन को लेकर देश के विभिन्न भागों में कई संस्थाएँ एवं सक्रिय कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं जिसमें 'कॉमन–बेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव' तथा 'परिवर्तन' आदि संस्थाएँ राजधानी दिल्ली सहित पूरे देश के विभिन्न भागों में लोगों को इस कानून के प्रयोग के प्रति जागरूक कर रही है। कुछ राज्यों में लोगों ने आर0टी0आई0 क्लबों का गठन भी कर रखा है। जिससे समाज का जरूरतमंद व्यक्ति इस कानून का प्रयोग एक अधिकार के रूप में कर सके। वही दूसरी ओर

Airo International Research Journal
Volume 23, ISSUE 1
ISSN: 2320-3714
October 2020

Multidisciplinary
Peer Reviewed Indexed Journal
Impact Factor 5.68

कुछ ऐसे सक्रिय आर0टी0आई0 कार्यकर्ता हैं जो इस कानून के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उन्हें कई बार भ्रष्टाचारियों द्वारा जान से मारने की धमकी भी मिल रही है। देश में 10 वर्षों में करीब 45 आर0टी0आई0 कार्यकर्ताओं की अलग–अलग प्रांतों में हत्याएँ कर दी गई। इसके बावजूद भी पूरे जोश एवं उत्साह के साथ इस कानून का प्रयोग सार्वजनिक हित से जुड़े हुए उन तमाम मुद्दों पर कर रहे हैं। जिसके कारण देश की शासन व्यवस्थाओं में सदियों से अंधकार पसरा था इस कानून के प्रयोग ने नागरिकों को संसदीय शक्तियाँ प्रदान कर दी।

इस अधिनियम के उचित क्रियान्वयन के लिये सूचना आयोग ने ऐसी सलाहकार समिति की स्थापना की है जिसमें सरकार नागरिक समाज प्रेस के प्रतिनिधि तथा आयोग के सदस्य रखे गये हैं जो आयोग को समय–समय पर अधिनियम की कमियों तथा उसे सुधारने के सम्बन्ध में उचित सलाह देंगे।''[4]

सरकारी कर्मचारी एवं अधिकारी जिसके विश्वास पर यह कानून टिका है वे ही इस कानून के सही क्रियान्वयन में लापरवाही बरत रहे हैं। सूचना के अधिकार कानून लागू होने के बाद से लगभग 20 लाख मामले देशभर में लम्बित है। अकेले गुजरात में 8 लाख मामले लम्बित है। यह बड़ी संख्या एक नयी चुनौती है। इस कानून के विरूद्ध यह भी तर्क दिया जाता है कि कानून से अधिक क्रियान्वयन आवश्यक होता है। अतः पहले क्रियान्वयन का ढाँचा बनाकर ही कानून बनाया जाना चाहिए था।

जिस मन से अधिकारियों को सूचनाएँ आम जनता को उपलब्ध करानी चाहिए थी उस मन से अधिकारी मांगी गयी सूचना को देने में कतराते हैं यही कारण है कि प्रत्येक विभाग में सूचनाओं की लम्बी फेहरिस्त बढ़ती जा रही है। नौकरशाही के भीतर रिकार्ड रखने का कमजोर अभ्यास, सूचना आयोगों के कामकाज के लिए आधारभूत ढाँचे और स्टाफ की कमी और व्हिसल ब्लोअर संरक्षण कानून के प्रावधानों को हल्का करने से आर0टी0आई0 एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन में कमी आयी है। नतीजन सरकारी स्तर पर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित किए जाने की दिशा में अभी तक बहुत काम नहीं हो पाया है। इन सबके चलते सूचना अपीलों के निस्तारण का काम लंबित हुआ है।[5]

अक्टूबर, 2014 की आर0टी0आई0 एसेसमेन्ट एण्ड अनालिसिस ग्रुप की एक रिपोर्ट के मुताबिक कमजोर क्रियान्वयन की मौजूदा दर के हिसाब से लंबित मामलों के निपटारे मे मध्य प्रदेश को 60 साल और पश्चिम बंगाल को 18 साल लगेगे। सूचना देने से इन्कार करने पर सरकारी विभागों पर अब तक तीन प्रतिशत से भी कम मामलों में जुर्माना लगाना संभव हो सका है। आर0टी0आई0 कानून की क्रियान्वयन की दिशा में कुछ ऐतिहासिक फैसले लिये गये जो निम्नलिखित हैः–

संघ लोक सेवा आयोग को प्राप्तांक बताने की आबद्धताः–केन्द्रीय सूचना आयुक्त ने संघ लोक सेवा आयोग को निर्देश दिया कि चयन प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए मूल अंक कट ऑफ मार्क्स और स्केलिंग पद्धति की जानकारी देना जरूरी है। संघ लोक सेवा आयोग की प्रारम्भिक परीक्षा–2006 में 2400 परीक्षार्थियों ने यह अपील की थी कि उनके नम्बर एवं कट ऑफ मार्क्स बताये जाय।[6]

राजनैतिक दलों के संदर्भ में ऐतिहासिक फैसलाः–केन्द्रीय सूचना आयोग ने तीन जून, 2013 को फैसला दिया है कि देश के छह मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल, कांग्रेस, भाजपा, बसपा, भाकपा, माकपा और राकांपा सूचना अधिकार कानून (आर0टी0आई0) के दायरे मे आते हैं। उन्हें आर0टी0आई0 कानून के तहत सार्वजनिक संस्थाएँ माना जायेगा। आयोग ने इन दलों को न सिर्फ छह सप्ताह में सूचना अधिकारी नियुक्त करने का आदेश दिया बल्कि पार्टी चंदे के बारे में मांगी गई सूचना भी सार्वजनिक करने का आदेश दिया। आयोग ने सरकार से मिलने वाली आर्थिक मदद और राजनीतिक दलों की लोकतंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए उन्हें आर0टी0आई0 कानून की धारा–2 (एच) मे सार्वजनिक संस्थाएँ करार दिया। आयोग ने अपने निर्णय में कहा कि हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों की भूमिका और उनका कामकाज व चरित्र भी उन्हें आर0टी0आई0 कानून के दायरे में लाते हैं। नतीजा यह हुआ कि इन छह राष्ट्रीय पार्टियों ने जन सूचना अधिकारी की नियुक्ति न करके सी0आर0सी0 के पूर्व के आदेश का पालन नहीं किया। साथ ही सभी दलों ने एक मत से 2013 के

Airo International Research Journal
Volume 23, ISSUE 1
ISSN: 2320-3714
October 2020

Multidisciplinary
Peer Reviewed Indexed Journal
Impact Factor 5.68

आखिरी दिनों में सूचना अधिकार कानून को संशोधित करने के लिए लोकसभा में बिल पेश किया लेकिन दुर्भाग्यवश 15वीं लोकसभा के समापन के साथ ही यह बिल स्वतः समाप्त हो गया।[7]

इस दौरान मूल याची यानी एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफार्म्स और आर0टी0आई0 कार्यकर्ता सुभाष अग्रवाल ने 19 मई, 2015 को सुप्रीम कोर्ट की शरण ली। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए छह राजनीतिक दलों सहित भारत सरकार को नोटिस जारी किया। अभी हाल ही में इसी नोटिस के जबाब में सरकार ने बताया कि राजनीतिक दल सूचना अधिकार कानून के दायरे में नहीं लाए जा सकते हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के मामले में सूचना आयोग ने मामले का निपटारा करते हुए यह आदेश दिया कि उक्त सूचना को देने के लिए कम्पनी आबद्ध है। परन्तु मुख्य सूचना आयुक्त के इस आदेश को दिल्ली उच्च न्यायालय ने अमान्य कर दिया तथा इस निर्णय के अनुसार सूचनाएँ या अभिलेख जो सार्वजनिक की जा चुकी है उन्हें प्रदत्त करने की आबद्धता नहीं होगी। सूचना एक कम्पनी के संबंध में मांगी गई थी। कम्पनी का कथन था कि मांगी गई सूचना कम्पनी रजिस्ट्रार के कार्यालय में उपलब्ध है जहाँ से लिया जा सकता है। च्ंतजपबपचंजवतल त्मेमंतबी पद प्दकपं ;च्त्प्।द्ध के एक सर्वेक्षण (12 राज्यों में) के अनुसार देश के अधिकांश भागों में इस अधिनियम का क्रियान्वयन संतोषजनक नहीं रहा। सूचना आयोग ने सही समय में पर्याप्त सूचनाएँ उपलब्ध नहीं दी आदि।[8]

विगत एक दशक में सूचना के अधिकार कानून का व्यापक प्रभाव भारतीय सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था पर पड़ा है। इसके आने के बाद से अनेक बड़े घोटाले पर से पर्दा उठा है। इस कानून ने एक हथियार के रूप में नेताओं, अधिकारियों के भ्रष्ट गठबंधन को तोड़ा है। प्रसिद्ध कविवर रवीन्द्र नाथ टैगोर द्वारा अपने लेखों में कुछ पंक्तियाँ इस तरह लिखी थीं कि ''जलते हुए चिराग ने ढलते हुए सूरज से कहा, दादा तुम जा रहे हो तो जाओ'' लेकिन तुम्हारे जाने के बाद मैं अंधेरे से लड़ने का निरन्तर प्रयास करता रहूँगा। टैगोर जी की इन पंक्तियों को सूचना का अधिकार कानून सिद्ध करके दिखा रहा है, यह उन चंद कानूनों में से एक है, जिसने इतनी जल्दी पूरे देश व प्रदेश के अन्दर प्रत्येक वर्ग के लोगों का विश्वास जीता है, जिसका प्रयोग लोग व्यवस्थाओं में पारदर्शिता लाने व भ्रष्टाचार के विरूद्ध एक ऐसे हथियार के रूप में कर रहे हैं, जो सत्ता एवं शासन व्यवस्थाओं में दशकों से मौजूद गोपन संस्कृति को भेदकर, इस कानून का ब्रह्मास्त्र पूरे तंत्र की परतें उधेड़ रहा है। सत्ता तथा शासन की सड़ाध बाहर आ रही है। देश की विधायिका एवं अधिकारी वर्ग इस कानून को बेहद असहज, महसूस कर रहा है। लेकिन इस कानून से सत्ता एवं शासन में पारदर्शिता, जवाबदेही जैसी संस्कृति का विकास हुआ। अब कोई भी व्यक्ति किसी भी अधिकारी या कर्मचारी से बेधड़क पूछ सकता है कि मेरा काम क्यों नहीं हुआ? कब होगा? इसके लिए कौन अधिकारी तथा कर्मचारी जिम्मेदार है, जिसने मेरे कार्य को करने में बिलम्ब किया है, उस अधिकारी तथा कर्मचारी पर क्या कार्यवाही हुई है? इन सब सवालों का जवाब जानने का अधिकार, अब प्रत्येक नागरिक को सूचना का अधिकार कानून बनने के बाद एक अधिकार के रूप में मिला है, अब जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों को अपने उत्तरदायित्व तथा जवाबदेही का बोध हो रहा है। इससे पहले सत्ता तथा शासन में लोगों की भागीदारी केवल मतदान तक सीमित थी, लेकिन अब इस कानून का कमाल है कि जो हमारे देश के लोकतंत्र व्यवस्था को चार कदम आगे ले जाने में कामयाब हुआ है। यह कानून आम नागरिकों को सुशासन के द्वार तक ले जाने में प्रभावशाली हथियार हैं। हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर कार्यपालिका के पास शासकीय गोपनीयता कानून है, विधायिका के पास संसदीय विशेषाधिकार है, न्यायपालिका के पास न्यायालय की अवमानना से सम्बन्धी कानून है तो आम नागरिकों के पास भी सूचना का अधिकार कानून एक सशक्त हथियार आ गया है, यह जनता के संघर्षों से बना ऐसा कानून है, जो आम जन को भारतीय लोकतंत्र में मालिक होने का अहसास देता है। इस कानून के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक भारतीय नागरिक को वह हर सूचना मिल सकती है, जो लोकसभा तथा विधानसभा के चुनिंदा सदस्यों को मिलती थी।

इस प्रकार बिना चुनाव लड़े ही आम व्यक्ति को सत्ता तथा सम्प्रभुता सम्पन्न बनाता है यह सूचना का अधिकार कानून की ही उपलब्धि है कि बेलगाम नौकरशाही और लापरवाह विधायिका दोनों पर यह कानून अंकुश लगता है और जवाबदेही को स्थापित करता है। अब कोई भी यह नहीं कह सकता है कि तुम पूछने वाले होते कौन हो? यह इसी कानून की ताकत है कि 'हम भारत के लोग' (वी द पीपल ऑफ इण्डिया) की वास्तविक व्याख्या और अधिकारिता को आजादी के छः दशक बाद इसी से व्यावहारिक स्वरूप मिल पाया है इस कानून के प्रावधान इतने सरल है कि देश का कोई व्यक्ति बिना कानूनी सहायता लिए हुए भी सूचना माँग सकता है चाहे वह सूचना ग्राम पंचायत कार्यालय से लेकर प्रधानमंत्री तक की हो सकती है।

सूचना का अधिकार कानून बने, अभी मात्र 10 वर्ष हुए है जो 12 अक्टूबर, 2015 को पूरा हो चुका है।[9] इस कानून ने पिछले 10 वर्षों में पूरे देश के अन्दर लोगों का विश्वास जीता है। फिर भी इस कानून ने दस वर्षों के बहुत अल्पसमय में पूरे देश के अन्दर लोगों का विश्वास जीता है। इस कानून के प्रयोग को लेकर नागरिकों में भारी उत्साह है। देश का प्रत्येक नागरिक इस कानून का प्रयोग एक अधिकार के रूप में सार्वजनिक क्षेत्रों एवं अपने व्यक्तिगत हित से जुड़ी हुई अनेक सूचनाओं के बारे में कर रहे हैं इस कानून के सार्थक क्रियान्वयन को लेकर देश के विभिन्न भागों में कई संस्थाएँ एवं सक्रिय कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं। इस कानून का प्रभाव विभिन्न क्षेत्रों में भ्रष्टाचार के कई मामलों को उजागर करने में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

इस कानून का प्रभाव निम्नलिखित क्षेत्रों में पड़ रहा है–

- सूचना का अधिकार कानून बनने के बाद प्रत्येक विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा सरकारी रिकार्ड के रख–रखाव में पारदर्शिता बढ़ी है।
- केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा वर्षों से चलाई जा रही, जनकल्याणकारी योजनाओं, मनरेगा, मिड–डे–मील स्वास्थ्य एवं निर्माण कार्यों आदि क्षेत्रों में कई वर्षों से हो रही अनियमितताओं का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें भ्रष्टाचार के कई मामले उजागर हुए हैं। आर0टी0आई0 के उपयोग से बड़े–बड़े घोटाले, भ्रष्टाचार में राजनेताओं, नौकरशाहों तथा उद्योगपतियों का गठजोड़ सामने आया है। आज भारत में भ्रष्टाचार के विरूद्ध बना सम्पूर्ण परिदृश्य के पीछे आर0टी0आई0 की महती भूमिका है।
- इस कानून ने शासन–प्रशासन तंत्र को सुशासन की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया है, भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में सूचना का अधिकार कानून उन चंद कानूनों में से एक है, जिसने देश की आम जनता को उसकी सत्ता और संप्रभुता की ताकत का अहसास कराया है।
- सूचना का अधिकार कानून ने नागरिकों की भाषा बदल दी है। जब कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी विभाग में वर्षों से लम्बित अपने जायज कामों के संबंध में सीधे सवाल पूछ रहे है, अधिकारियों एवं कर्मचारियों से हिसाब मांग रहे हैं कि उनका काम क्यों नहीं हुआ, किस अधिकारी की लापरवाही से मेरा नुकसान हुआ, उस अधिकारी को क्या सजा मिलेगी? आदि।
- आज सूचना का अधिकार कानून केवल भ्रष्टाचार से लड़ने में ही सहयोगी साबित नहीं हो रहा है बल्कि वह सच्चाई को सामने लाने के लिए भी सबसे प्रभावी उपकरण बन रहा है। आर.टी.आई. का सबसे बड़ा प्रभाव जवाबदेही के स्तर पर दिखता है। एम.के.एस.एस. द्वारा राजस्थान में चलाये गये आन्दोलन से तथा अन्य स्थानों के उदाहरण से यह स्पष्ट हुआ है कि भ्रष्टाचार का मूल कारण सरकारी गोपनीयता थी।
- इस कानून के बनने के बाद ईमानदार अधिकारी खुश है, क्योंकि राजनीतिक दबाव के कारण पहले वे कई बार अपनी सही राय नहीं रख पाते थे, अब उनको मौका मिला है कि वे अपनी राय ईमानदारी से रख सकते हैं?
- यह कानून जवाबदेही से भागते पदाधिकारियों की जिम्मेदारी पता करने से लेकर जनहित का व्यापक नुकसान करने वालों की पहचान में मददगार रहा है, जनता अपनी जरूरत के हिसाब से इस कानून का प्रयोग कर रही है।

- इस कानून के बन जाने के बाद कुछ अपवादों को छोड़कर शासन प्रशासन के कार्यों में जवाबदेही एवं पारदर्शिता की संस्कृति के विकास का मार्ग प्रशस्त किया है।
- इस कानून के बन जाने के बाद लोगों के रोजमर्रा के छोटे–छोटे काम जैसे– राशनकार्ड, बिजली कनेक्शन, ड्राइविंग लाइसेंस, जॉब कार्ड आदि कार्य बड़ी आसानी से हो रहे हैं।
- अब उन प्रत्येक संवैधानिक संस्थाएँ एवं गैर सरकारी संस्थाएँ जो सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त है आदि का सूचना अधिकार कानून के प्रति जवाबदेही होगी।
- राजनीति के अपराधीकरण व अपराधों के राजनीतिकरण को रोकने व स्वच्छ राजनीति के नए युग की शुरूआत करने में यह कानून महत्वपूर्ण सिद्ध हो रहा है।
- सूचना के अधिकार के द्वारा न केवल भ्रष्टाचार पर प्रभावी रोक की भूमिका तैयार हुई वरन् सरकारी कर्मचारियों की निरंकुशता पर भी रोक लगी है। सूचना का अधिकार के लागू होने से पूर्व सरकारी अधिकारी ही नहीं वरन् सरकार का छोटे से छोटा कर्मचारी भी खुद को किसी राजा से कम नहीं समझता था। सूचना का अधिकार अधिनियम ने इस व्यवस्था में पूर्ण परिवर्तन कर दिया, अब सूचना प्राप्ति का इच्छुक व्यक्ति राजा है तथा सरकारी कर्मचारी उसका सेवक है, जिन्हें एक निश्चित समय में सूचना उपलब्ध करवानी ही होगी।
- अधिकारियों की निरंकुशता तथा आलस्य की प्रवृत्ति पर रोक लगाने में राज्य तथा केन्द्रीय सूचना आयोग ने भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। केन्द्रीय तथा राज्य सूचना आयोग ने दोषी अधिकारियों पर जुर्माना का आरोपन किया है, जो 250 से 25,000 तक रही है तथा ऐसे अधिकारियों में जिला कलेक्टर तक भी शामिल हैं।
- सूचना का अधिकार अधिनियम ने भारत के प्रतिनिधियात्मक लोकतन्त्र में प्रत्यक्ष लोकतन्त्र की संभावनाएँ पैदा कर दी है। मसलन किसी एक जागरूक नागरिक ने अपने विधायक अथवा सांसद द्वारा कोटे से कराये गये विकास कार्यों की सूची माँगी और उस सूचना की फोटो प्रतियों को विभिन्न स्थानों पर चस्पा कर दिया। यह इतना सा छोटा कार्य भी संबंधित विधायक अथवा सांसद के सामने पुनः निर्वाचित होने में रूकावट बन सकता है।
- इस कानून का सबसे बड़ा योगदान नागरिकों के सशक्तीकरण में रहा है, यह कानून जनता के संघर्षों से बना ऐसा कानून है, जो आमजन को भारतीय लोकतंत्र में मालिक होने का अहसास कराता है, कानून के प्रावधानों के अनुसार उसे हर उस कानून की सूचना मिल सकती है, जो लोकसभा तथा विधानसभा के चुनिंदा सदस्यों को मिलती थी। इस प्रकार बिना चुनाव लड़े ही आम व्यक्ति सत्ता तथा सम्प्रभुता सम्पन्न बना है।
- भ्रष्टाचार में कमी, पारदर्शिता बढ़ी, लाल फीताशाही घटी, कार्य कुशलता व प्रभाविता बढ़ी, धन अपव्यय रूका, नौकरशाही के व्यवहार व कार्यप्रणाली में सकारात्मक परिवर्तन आया है।
- निर्माण कार्यों की गुणवत्ता के साथ होने वाले समझौते उजागर हुए, टेण्डर में पारदर्शिता बढ़ी एवं सरकारी धन का सदुपयोग हो रहा है।
- फर्जी एन्काउन्टर, फर्जी मुठभेड़, पुलिस की ज्यादतियों की जानकारी प्राप्त होने लगी है।
- जेल में कैदी से व्यवहार, आरोपियों व अपराधियों के साथ व्यवहार की जानकारी, दोषी को सजा, जवाबदेह बनाया।
- सेना की अनावश्यक कार्यवाहियों पर अंकुश लगा एवं एन0जी0ओ0 के कार्यकरण में परिवर्तन आया।
- अनावश्यक गिरफ्तारियों पर अंकुश लगा, आरोपी की गिरफ्तारी का आधार पता चला जिससे मानवाधिकारों की रक्षा हुई।
- पंचायत व नगरीय निकाय संस्थाओं के कार्यों से जनता का रू–बरू होना, सहभागिता एवं जन नियंत्रण का बढ़ना हो सका।
- ग्रामीण व शहरी विकास कार्यों में तेजी आने से आधारभूत संरचना को मजबूती मिली है कल्याण कार्यक्रमों को बढ़ावा मिला, विकास कार्यों को गति मिलने से गरीबी, भुखमरी, ऋणग्रस्तता,

बंधुआ मजदूरी बाल मजदूरी में कमी आयी जिससे आर्थिक स्थिति में सुधार होने से जीवन स्तर उच्च हुआ।

- एक नये आर.टी.आई. कार्यकर्ता वर्ग उभरकर सामने आया जो समाज सेवा की भावना से प्रेरित होकर कार्य कर रहे हैं।
- इस अधिनियम के लागू होने के पश्चात जनता एवं सत्ता अर्थात आम नागरिकों एवं सरकार के बीच दूरी घटी है।
- इस अधिनियम के लागू होने के फलस्वरूप जनता के मूल अधिकारों को बल मिला है एवं नागरिकों के अधिकारों की अवधारणा सशक्त हुई है।
- काले धन पर नियन्त्रण हुआ है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जनता को सीधा लाभ दिया जा रहा है।
- प्रशासन में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व की भावना में वृद्धि हुई है।
- भारत के छः दशक के लोकतंत्र के इतिहास में सदैव यह सवाल उठाया जाता है कि यहाँ का लोकतंत्र सहभागी नहीं। भारत में लोग राजनीतिक प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। मतदान का प्रतिशत नीचे रहता है तथा निर्णय निर्माण में उनकी रूचि नहीं रहती है। सूचना के अधिकार मिलने के साथ परिदृश्य बदल रहा है। आज आम नागरिक सजगता के साथ आगे बढ़ते हुए न केवल राजनीतिक प्रक्रिया में भाग ले रहा है वरन् अपने को लोकतंत्र में जनार्दन के रूप में पेश कर रहा है। आम लोग 'सेवक' की परम्परागत सोच से निकलकर 'स्वामी' बनने की ओर बढ़ रहे हैं। कतिपय यही कारण है कि निर्णय निर्माण तथा उनके क्रियान्वयन तक के प्रत्येक पहलू पर जनता पैनी निगाहें रख रही है। हाल के चुनावों में बढ़ता मतदान का प्रतिशत तथा माँगी जा रही सूचनाओं के अंबार इस ओर संकेत कर रहे हैं। हाल में जनहित याचिकाओं पर दिये गये सुप्रीम कोर्ट के निर्वाचन सुधार तथा अपराधियों को राजनीति से दूर रखने सम्बन्धी फैसले जैसे दो वर्ष या अधिक सजा पाये व्यक्ति को अगले 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने की रोक, अविलम्ब सदस्यता समाप्त करने का फैसला तथा मतदान के समय ''उपरोक्त में से कोई नहीं'' (छवदम वि जीम ंइवअम.छव्ज।) का प्रावधान इस बात का संकेत है। यह व्यापक जन दबाव जागरूकता तथा न्यायालय की सक्रियता का सुखद परिणाम है। यह भारत में उभरते नये प्रकार के सहभागी लोकतंत्र का संकेत है।
- सूचना के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक विभाग अपने यहाँ एक मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त करेगी। सम्बन्धित विभाग की सूचना वहाँ का सूचना अधिकारी ही देगा। यदि उससे किसी अन्य विभाग की सूचना गलती से माँगी गई है तो उसे सम्बन्धित विभाग में उसे पाँच दिन के अन्दर भेजना होगा। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि सम्बन्धित व्यक्ति को तीस दिन के अंदर सूचना उपलब्ध करानी होगी। किसी अन्य विभाग को ट्रांसफर की स्थिति में यह अवधि पैंतीस दिन होगी। अत्यधिक महत्व के तथा जीवन मृत्यु से जुड़े मामले 48 घंटे के भीतर[10] उपलब्ध करायी जायेगी। सूचना के अधिकार कानून के धारा–8 में देश की सुरक्षा, संधि, सम्प्रभुता, सैनिक, वैज्ञानिक, आर्थिक क्षति, संसद के विशेषाधिकार के हनन, विदेशों से प्राप्त गुप्त सूचना तथा न्यायालय की अवमानना सम्बन्धी सूचनाओं को इस कानून से अलग रखा गया है।[11] इसके अलावा मानवाधिकारों से जुड़े मामलों में 45 दिन तक की समय सीमा तय की गई है।

संदर्भः–

1– सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पृष्ठ सं0–7
2– इंडिया टुडे, 'आजादी के नये पहरूए', 7 अक्टूबर, 2015 पृ0सं0–15
3– इंडिया टुडे, 'आजादी के नये पहरूए', 7 अक्टूबर, 2015 पृ0सं0–17
4– क्तण त्वव्चपदकमत व्झमतवप श्प्देजपजनजपवदंसप्रपदह ज्तंदेचंतमदबल ंदक ।बबवनदजंइपसपजल पद प्दकपंद ळवअमतदंदबमरू न्दकमतेजंदकपदह जीम प्उचंबज वि त्पहीज जव प्दवितउंजपवद ;प्ैै.श्रैभ्द्ध टवसण 1ए1ए प्ेेनम.4 ;डंल. श्रनदमए 2013द्धए च्ंहम.51

Airo International Research Journal
Volume 23, ISSUE 1
ISSN: 2320-3714
October 2020

Multidisciplinary
Peer Reviewed Indexed Journal
Impact Factor 5.68

5— दैनिक जागरण, लखनऊ संस्करण, 13 अक्टूबर, 2015, पेज–21।
6— ब्ह्ॅठ वतकमतए छवअमउइमतए 13ए 2006
7— दैनिक जागरण, 'मुद्दा' कानपुर संस्करण, 30 अगस्त 2015, पृ0सं0–15
8— च्त्प्। ;2008द्धए ैमेपदह प्दवितउंजपवद न्दकमत त्ज्प्
9— हिन्दुस्तान, लखनऊ संस्करण, 17 अक्टूबर, 2015
10— सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 धारा–7(ए)
11— सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 धारा–8